न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी श्री पुनीत कुमार गेलड़ा (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या : 7/2023
दायर दिनांक : 14/09/2023
निर्णय दिनांक : 30/01/2025

उनवान

1. चम्पालाल गोद पिता अमरचन्द गुर्जर निवासी फलासिया (जागीर) तहसील भूपालसागर

अपीलान्ट

बनाम

1. ग्राम पंचायत, जरिये ग्राम विकास अधिकारी भूपालनगर तहसील भूपालसागर
2. मांगीलाल पिता डूंगा गुर्जर निवासी फलासिया (जागीर) तहसील भूपालसागर
3. नाराणी बाई पुत्री डूंगा गुर्जर निवासी फलासिया (जागीर) तहसील भूपालसागर
4. लच्छुबाई पुत्री डूंगा गुर्जर निवासी फलासिया (जागीर) तहसील भूपालसागर
5. गोटू पिता किशना गुर्जर निवासी फलासिया (जागीर) तहसील भूपालसागर
6. छोगा पिता किशना गुर्जर निवासी फलासिया (जागीर) तहसील भूपालसागर
7. बालू पुत्र किशना गुर्जर निवासी फलासिया (जागीर) तहसील भूपालसागर
8. गोपू पिता तुलछा गुर्जर निवासी फलासिया (जागीर) तहसील भूपालसागर
9. नाराण पिता तुलछा गुर्जर निवासी फलासिया (जागीर) तहसील भूपालसागर
10. भैरू पिता तुलछा गुर्जर निवासी फलासिया (जागीर) तहसील भूपालसागर
11. भोलीबाई पत्नी तुलछा गुर्जर निवासी फलासिया (जागीर) तहसील भूपालसागर
12. लछूबाई पुत्री तुलछा गुर्जर निवासी फलासिया (जागीर) तहसील भूपालसागर
13. उपपंजीयक, भूपालसागर
14. तहसीलदार, भूपालसागर
15. पटवारी, पटवार हल्का भूपालनगर तहसील भूपालसागर

रेस्पोडेन्ट

राजस्व अपील अंतर्गत धारा – 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति : 1. श्री कन्हैयालाल माली, अधिवक्ता अपीलान्ट

: : निर्णय : :

वकील अपीलान्ट ने अपील अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 प्रस्तुत की, जिसका विवरण इस प्रकार है :

यह कि ग्राम फलासिया पटवार हल्का भूपालनगर के हल्के [illegible] स्थित हाल खाता सं. 74 में दर्ज हाल आ.सं 398 रकबा 0.08 है., आ.सं. 401 रकबा 0.0[illegible] आ.[illegible] 402 रकबा 0.09 है., आ.सं. 425 रकबा 0.56 है., आ.सं. 428 रकबा 0.65 है., आ.सं. 429 रकबा [illegible] है., आ.स. 430 रकबा 0.09 है., आ.सं. 449 रकबा 0.82 है., आ.सं. 450 [illegible] 0.08 है., आ.सं. 452 रकबा 0.12 है., आ.सं. 453 रकबा 0.62 है., आ.सं. 457 रकबा 0.2[illegible] आ.सं. 458 रकबा 0.16 है., आ.सं. 465 रकबा 0.30 है., आ.सं. 466 रकबा 0.29 है., आ.सं. 467 रकबा 0.05 है., आ.सं. 490

Signature Not Verified
Digitally signed by Punit Kumar Gelra
Date: 2025.03.10 11:38:59 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

रकबा 0.41 है., आ.सं. 491 रकबा 0.17 है., आ.सं. 492 रकबा 0.29 है., आकृसं. 502 रकबा 1.78 है., आ.सं. 503 रकबा 0.94 है., आ.सं. 681/461 रकबा 0.08 है., आ.सं. 692/492 रकबा 0.12 है., आ. सं. 725/425 रकबा 0.06 है. किता 25 रकबा 8.58 है. दर्ज रिकार्ड है। उक्त आराजियात जमाबंदी सम्वत 2069–72 तक में खातेदार चुन्नीबाई बेवा अमरचन्द का 1/2 हिस्सा व डूंगा पिता लालू 1/2 हिस्से अनुसार दर्ज रिकार्ड थी तथा इसी प्रकार हाल खाता संख्या 72 में दर्ज हाल आ.सं. 421 रकबा 0.04 है., आ.सं. 422 रकबा 0.09 है., आ.सं. 423 रकबा 0.48 है., आ.सं. 448 रकबा 0.29 है., आ.सं. 493 रकबा 0.12 है., आ.सं. 495 रकबा 0.35 है., आ.सं. 680/456 रकबा 0.02 है. किता 7 रकबा 1.39 है. दर्ज रिकार्ड है। उक्त आराजियात जमाबंदी संवत 2069–2072 तक में खातेदार चुन्नीबाई बेवा अमरचन्द का 1/2 हिस्सा व डूंगा पिता लालू 1/2 हिस्से अनुसार दर्ज रिकार्ड थी तथा इसी प्रकार हाल खाता सं. 73 में दर्ज हाल आ.सं. 468 रकबा 0.03 है. दर्ज रिकार्ड है। उक्त आराजियात जमाबंदी संवत 2069–2072 तक में खातेदार चुन्नीबाई बेवा अमरचन्द का 1/2 हिस्सा व डूंगा पिता लालू 1/2 हिस्से अनुसार दर्ज रिकार्ड थी। वजह सबूत जमाबंदी संवत 2069–2072 तक की प्रमाणित नकलें, हाल जमाबंदी की प्रमाणित नकलें अपील के साथ प्रस्तुत है। मुझ अपीलान्ट के दादा लालूजी के दो पुत्र थे बड़े पुत्र का नाम अमरचन्दजी व छोटे पुत्र डूंगा जी थे। मैं अपीलान्ट डूंगाजी का छोटा पुत्र हूं। अमरचन्द जी कोई जाईन्दा संतान व पुत्र व पुत्री नहीं थे, जिसके कारण मुझ अपीलान्ट को मेरी बाल्य अवस्था में ही सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार गोद पुत्र रख लिया था। बचपन से ही मेरा पालन पोषण, खाना खुराक, कपडा लत्ता आदि मेरे बडे पापा अमरचन्द जी व उनकी पत्नी चुन्नीबाई ने ही किया था। मेरी शादी भी अमरचन्दजी द्वारा ही की गई थी। मेरे गोद पिता अमरचन्दजी की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद आराजियात मेरी गोद माता चुन्नीबाई बेवा अमरचन्द बेवा अमरचन्दजी के नाम 1/2 हिस्से अनुसार जमाबंदी में दर्ज हो गई थी। मुझ अपीलान्ट की गोद माता चुन्नीबाई द्वारा रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 03.12.2005 को मुझ अपीलान्ट के पक्ष में रजिस्टर्ड करवाया। वसीयतनामे अनुसार अपील की कॉलम सं. 1 में वर्णित आराजियात में से अपने 1/2 हिस्से की आराजियात का मुझ अपीलान्ट के पक्ष में गोद पुत्र की हैसियत से नामान्तरण खोला जाना था। वसीयतनामे की फोटोप्रति अपील के साथ प्रस्तुत है। मुझ अपीलान्ट की गोदमाता चुन्नीबाई की मृत्यु दिनांक 24.07.2012 को एवं मुझ अपीलान्ट के प्राकृतिक पिता डूंगाजी की मृत्यु दिनांक 18.07.2011 को हो गई थी। अपील की कॉलम सं. 1 में वर्णित आराजियात के खातेदार, मुझ अपीलान्ट के परिवार का विधिक वारिसान सजरा निम्न प्रकार है : लालू (फौत) अमरचन्द (फौत) चुन्नीबाई (फौत) (पत्नी), चम्पालाल (गोदपुत्र), डूंगा पुत्र लालू (फौत) (पुत्र) मांगीलाल (पुत्र) नाराणीबाई (पुत्री) लच्छुबाई (पुत्री)। उपरोक्त विधिक वारिसान सजरे अनुसार मृतक चुन्नीबाई पत्नी अमरचन्द गुर्जर की मृत्यु के बाद विरासत का नामान्तरण वसीयतनामे के अनुसार बहैसियत गोद पुत्र मुझ अपीलान्ट के नाम खोला जाना था। स्व. चुन्नीबाई एवं डूंगाजी के मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटो प्रति अपील के साथ प्रस्तुत है।

यह कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 अधीनस्थ ग्राम पंचायत, भूपालनगर को मुझ अपीलान्ट ने मेरी गोद माता का मृत्यु प्रमाण पत्र व वसीयतनामे की प्रमाणित फोटो प्रति मय आवेदन के साथ प्रस्तुत कर मुझ अपीलान्ट के नाम 1/2 हिस्से अनुसार जमाबंदी में मेरा नाम अंकन करने का निवेदन किया लेकिन पटवार हल्का भूपालनगर द्वारा अपनी मनमर्जी से मुझ [illegible] द्वारा प्रस्तुत रजिस्टर्ड वसीयतनामे को नजर अन्दाज करते हुए मुझ अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 2 से लगायत 4 तक के पक्ष में जो कि डूंगा जी के वारिस हैं नामान्तरण संख्या 87 को भरकर [illegible] पंचायत, भूपालनगर के सरपंच सचिव से मिलीभगत कर नामानतरण सं. 87 [illegible] दिनांक [illegible] को मुझ अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से लगायत 4 के नाम अंकन कर दिया, जो प्रथम [illegible] ही शून्य एवं निष्प्रभावी होकर खारिज होने योग्य है। कानूनन भी अधीनस्थ ग्राम पंचायत व अधीनस्थ तहसील कर्मचारियों

Signature Not Verified
Digitally signed by Punit Kumar Gelra
Date: 2025.03.20 12:38:59 IST
Reason: Self Attested

सहायक कलेक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

को कोई अधिकार नहीं था कि रजिस्टर्ड वसीयतनामें को नजरअन्दाज करें क्योंकि रेस्पोडेन्ट सं. 2 से लगायत 4 तक का मुझ अपीलान्ट की गोदमाता चुन्नीबाई के 1/2 हिस्से कि आराजियात में किसी प्रकार का अधिकार नहीं बनता है ईन्तकाल सं. 87 की प्रमाणित नकल अपील के साथ प्रस्तुत है। उक्त अपील वर्णित आराजियात को रेस्पोडेन्ट सं. 2 से लगायत 4 तक ने अनुचित तरीके से अवैधानिक रूप से ग्राम पंचायत भूपालनगर व पटवार हल्का भूपालनगर से मिली भगत कर मुझ अपीलान्ट के स्व. चुन्नीबाई के गोद पुत्र होने के बाद भी राजस्व रिकार्ड में 1/4 हिस्से अनुसार नामान्तरण खुलवा लिया जिसका नाजायज फायदा उठाते हुऐ रेस्पोडेन्ट सं. 2 से लगायत 4 तक आराजियात को अन्य व्यक्तियों को विकय करने की धमकिया दे रहे हैं जबकि कानूनन रेस्पोडेन्ट सं. 2 से लगायत 4 तक को ऐसा करने का कानूनी अधिकार नहीं है। इस कारण नामान्तरण सं. 87 दिनांक 20.02.2012 निरस्त किये जाने योग्य हैं। यह कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत, भूपालनगर ने मुझ अपीलान्ट के रजिस्टर्ड वीसयतनामें को नजरअन्दाज कर रेस्पोडेन्ट्स से मिलीभगत कर बिना किसी कानूनी अधिकार के ईन्तकाल सं. 87 फैसल दिनांक 20.02.2012 खोलकर उक्त आराजियात को रेस्पोडेन्ट सं. 2 से लगायत 4 तक के नाम 1/4 हिस्से अनुसार अंकित कर दी जो गलत है। ग्राम पंचायत, भूपालनगर ने नामान्तरण खोलने का आदेश देने की भारी भूल की है तथा अपीलान्ट के 1/2 हिस्से के हक व अधिकार को जाया कर दिया है और पटवारी, गिरदावर व अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने अपने अधिकार से परे जाकर अवैधानिक तरीके से 1/4 हिस्से अनुसार आराजियात का विरासत नामान्तरण मुझ अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 2 से लगायत 4 तक के नाम दर्ज कर भारी भूल की है जो प्रथम दृष्टया ही शून्य एवं निष्प्रभावी है जो निरस्त होने योग्य हैं। अधीनस्थ ग्राम पंचायत का निर्णय, निर्णय की परिभाषा में नहीं आता है क्योंकि उपरोक्त वर्णित आराजियात में मुझ अपीलान्ट का 1/2 हिस्सा होते हुऐ भी ग्राम पंचायत व तहसील कर्मचारियों ने तथ्यों की जांच किये बिना नामान्तरण संख्या 87 खोलकर रेस्पोडेंट सं. 2 से लगायत 4 के नाम 1/6 हिस्सा अंकन करने के बजाय 1/4 हिस्सा अंकन कर दिया, जो गलत है। नामान्तरण सं. 87 दिनांक 20.02.2012 को निर्णित किया गया लेकिन अपीलान्ट को नामान्तरण की जानकारी दिनांक 23.01.2023 को नकल लेने से हुई तथा जमाबंदी संवत 2069–2072 तक की प्रमाणित नकल दिनांक 12.02.2023 को लेने से हुई है। अपीलान्ट की ओर से देरी अवधि को समायत करने हेतु दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से पेश है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमा, अधीनस्थ ग्राम पंचायत, भूपालनगर का निर्णय नामान्तरण सं. 87 फैसल दिनांक 20.02.2012 को निरस्त फरमाया जाकर अपील में वर्णित कॉलम सं. 1 में वर्णित हाल आराजियात में मुझ अपीलांट के नाम रजिस्टर्ड वसीयननामे अनुसार 1/2 हिस्सा दर्ज रिकार्ड किये जाने का आदेश पारित फरमावें तथा वर्तमान राजस्व रिकार्ड में रेस्पोडेन्ट सं. 2 से लगायत 4 तक के नाम 1/6 हिस्से अनुसार अंकन किये जाने का आदेश फरमावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को सम्मन जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट्स संख्या 3 व 4 की ओर से वकील श्री रतनलाल टांक ने अधिकार पत्र पेश किया, रेस्पोडेन्ट सं. 2 की ओर से वकील श्री फिरोज अली ने अधिकार पत्र व स्वीकारोक्ति का जवाब पेश किया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 की ओर वकील श्री कृष्ण कुमार प्रजापत ने अधिकार [illegible] की ओर से वकील श्री देवीलाल जाट ने अधिकार पत्र व जवाब दफा 5 का ज[illegible] पेश [illegible]या। शेष अप्रार्थीगण उपस्थित नहीं आने से कार्यवाही एकतरफा की ग[illegible] को सुना गया। वकील अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए दफा 5 मियाद अ[illegible]यम स्वीकार कर उक्त नामान्तरण को निरस्त करा अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमा, अधीनस्थ ग्राम पंचायत, भूपालनगर का निर्णय नामान्तरण सं. 87 फैसल दिनांक 20.02.2012 को निरस्त फर[illegible] जाकर अपील में वर्णित

Signature Not Verified
Digitally signed by Punit Kumar Gelra
Date: 2025.03.10 11:38:59 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

कॉलम सं. 1 में वर्णित हाल आराजियात में मुझ अपीलांट के नाम रजिस्टर्ड वसीयननामे अनुसार 1/2 हिस्सा दर्ज रिकार्ड किये जाने का आदेश पारित फरमावें तथा वर्तमान राजस्व रिकार्ड में रेस्पोडेन्ट सं. 2 से लगायत 4 तक के नाम 1/6 हिस्से अनुसार आदेश पारित करने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों, दफा 5 के प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं तथ्यो पर गहनतापूर्वक विचार किया। वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील अपीलान्ट स्वीकार कर नामान्तरण संख्या 87 दिनांक 20.02.2012 को अपास्त किया जाता है, प्रकरण तहसीलदार, भूपालसागर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विधिवत दोनों को पक्षों सुना जाकर नये सिरे से नियमानुसार इंतकाल खोला जाने की कार्यवाही करे।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(पुनीत कुमार गेलड़ा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
भूपालसागर

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर, जिला-जोधपुर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Punit Kumar Gelra
Date: 2025.03.10 11:38:59 IST
Reason: SelfAttested